



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 18, 2013/माघ 29, 1934

No. 52]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 18, 2013/MAGHA 29, 1934

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 11 फरवरी, 2013

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(जीवन बीमा-पुनर्बीमा) विनियम, 2013

एफ. सं. बी.वि.वि.प्रा./वि./17/75 /2013 :- बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 14 और धारा 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114अ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

क. ये विनियम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा - पुनर्बीमा) विनियम, 2013 कहलाएंगे।

ख. ये सत्कारी राजपत्र में इनकी अधिसूचना की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ - इन विनियमों में, जब तक सदेम स अन्यथा अपेक्षित न हो :

क. 'अधिनियम' से बीमा अधिनियम 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;

ख. 'प्राधिकरण' से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है।

- ग. 'अर्पणकर्ता' से वह बीमाकर्ता अभिप्रेत है जो पुनर्बीमा संविदा करता है अथवा वह पुनर्बीमाकर्ता अभिप्रेत है जो पुनःअध्यर्पण संविदा करता है;
- घ. 'अध्यर्पण' से उस बीमाकर्ता द्वारा, जिसने मूल बीमाकृत व्यक्ति को पॉलिसी जारी की है, पुनर्बीमाकर्ता को दिया गया बीमे का अंश अभिप्रेत है;
- ङ. 'क्रैडिटिंग' से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा प्राथमिक बीमाकर्ता पुनर्बीमाकर्ता को अधिकांश अथवा सारी बीमा जोखिम अध्यर्पित करता है;
- च. 'ऐच्छिक पुनर्बीमा' से ऐसी एकल पॉलिसी का आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से पुनर्बीमा अभिप्रेत है जिसमें अध्यर्पण के लिए अलग से बातचीत की गई है तथा पुनर्बीमाकर्ता और बीमाकर्ता के पास प्रत्येक वैयक्तिक निवेदन को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का विकल्प है;
- छ. 'पुनर्बीमा संविदा' से सभी पक्षों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी वह दस्तावेज अभिप्रेत है जो पुनर्बीमा संविदा की सभी शर्तों और अन्य उपबंधों का एक संपूर्ण, सही और निश्चित अभिलेख उपलब्ध कराता है।
- ज. 'पुनःअध्यर्पण' से वह लेनदेन अभिप्रेत है जिसके द्वारा एक पुनर्बीमाकर्ता किसी अन्य बीमाकर्ता अथवा पुनर्बीमाकर्ता को अपने द्वारा पूर्व में धारित सारा पुनर्बीमा अथवा उसका अंश अध्यर्पित करता है;
- झ. 'प्रतिधारण' से जोखिम का वह अंश अभिप्रेत है जिसे बीमाकर्ता अपनी ओर से ग्रहण करता है;
- ञ. 'भारतीय पुनर्बीमाकर्ता' से वह भारतीय बीमा कंपनी अभिप्रेत है जिसे भारत में केवल पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए प्राधिकरण द्वारा धारा 3 की उप-धारा (2क) के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है;
- ट. 'पूल' से बीमा अथवा पुनर्बीमा का कोई ऐसा संयुक्त हामीदारी (जोखिम अंकन) कार्य अभिप्रेत है जिसमें सहभागी सारे लिखित व्यवसाय में एक पूर्वनिर्धारित और नियत हित धारण करते हैं;
- ठ. 'संधि' से बीमाकर्ता और पुनर्बीमाकर्ता के बीच पुनर्बीमा की वह व्यवस्था अभिप्रेत है, जो सामान्यतः एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के लिए होती है तथा जो व्यवसाय के किसी वर्ग अथवा किन्हीं वर्गों के पुनर्बीमा के लिए लागू तकनीकी विवरण और वित्तीय शर्तें निर्धारित करती है;
- ड. इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित परंतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ क्रमशः वही होंगे जो यथास्थिति उन अधिनियमों में उनके लिए निर्दिष्ट किये गये हैं।

3. भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ पुनर्बीमा :

- क. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101अ के अनुसार प्रत्येक बीमाकर्ता भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ प्रत्येक पॉलिसी के संबंध में बीमाकृत राशि के ऐसे प्रतिशत का पुनर्बीमा करेगा जैसा कि प्राधिकरण द्वारा अधिसूचना से विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- ख. बशर्ते कि इस प्रकार विनिर्दिष्ट कोई प्रतिशत ऐसी पॉलिसी के संबंध में बीमाकृत राशि के तीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा तथा
- ग. यह भी शर्त है कि बीमा के विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न प्रतिशत विनिर्दिष्ट किये जा सकेंगे तथा
- घ. यह भी शर्त है कि ऐसे अनुपात विनिर्दिष्ट किये जाएंगे जिनमें उपर्युक्त प्रतिशत का आबंटन भारतीय बीमाकर्ताओं के बीच किया जाएगा।
- ङ. इस विनियम के प्रयोजन के लिए बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101आ के अनुसार एक सलाहकार समिति गठित की जाएगी जिसमें जीवन बीमा व्यवसाय का विशेष ज्ञान और अनुभव रखनेवाले पाँच से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे।

4. पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के लिए अपनाई जानेवाली प्रक्रिया--

- क. प्रत्येक बीमाकर्ता /पुनर्बीमाकर्ता का पुनर्बीमा कार्यक्रम निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इनसे मार्गदर्शन प्राप्त करता रहेगा :
- देश के भीतर प्रतिधारण को अधिकतम करना;
 - पर्याप्त क्षमता विकसित करना;
 - उपगत पुनर्बीमा लागतों के लिए सर्वोत्तम संभव संरक्षण सुनिश्चित करना;
 - यह सुनिश्चित करना कि पुनर्बीमा पॉलिसी बीमा व्यवसाय के क्रैडिटिंग के लिए मार्ग प्रशस्त नहीं करती;

v. व्यवसाय के संचालन को सरल बनाना ।

ख. प्रत्येक जीवन बीमाकर्ता सुरक्षित किये गये जीवनों के संबंध में पुनर्बीमा का एक कार्यक्रम बनायेगा तथा बीमाकर्ता द्वारा ऐसे कार्यक्रम की रूपरेखा विधिवत् नियुक्त बीमांकिक द्वारा प्रमाणित और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित रूप में प्राधिकरण के पास प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से कम से कम पैंतालीस दिन पहले दाखिल की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :

- i. नये बीमाकर्ताओं के लिए : उनके पूंजीकरण के संबंध में प्रस्तावित पुनर्बीमा व्यवस्थाएँ, व्यवसाय और प्रतिधारणों के प्रस्तावित वर्ग; उनके पुनर्बीमाकर्ता और उनकी पिछले पाँच वर्ष की रेटिंग; और नियंत्रण प्रणालियाँ।
- ii. वर्तमान बीमाकर्ताओं के लिए :
 1. उनके पूंजीकरण के संबंध में प्रस्तावित पुनर्बीमा व्यवस्थाएँ, व्यवसाय और प्रतिधारणों के प्रस्तावित वर्ग; उनके पुनर्बीमाकर्ता, शेयर और पिछले पाँच वर्षों की रेटिंग तथा
 2. वर्तमान पुनर्बीमा व्यवस्थाओं की वार्षिक समीक्षा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :
 - क. लिखित बीमा व्यवसाय के प्रत्येक वर्ग के लिए जोखिम एक्सपोजरों के संबंध में : प्रतिधारण सीमाएँ, विनियम 6 में निर्दिष्ट विनियामक रिपोर्टिंग प्रतिधारण सीमाओं के साथ तुलना, और संधियों द्वारा प्रदत्त सुरक्षा की श्रेणियाँ;
 - ख. एक्सपोजरों की निगरानी करने तथा अध्यर्पण और दावों के संबंध में वस्तुतयाँ करने के लिए पुनर्बीमा नियंत्रण प्रणालियाँ;
 - ग. प्रमुख पुनर्बीमाकर्ता, अर्थात् किसी एक पुनर्बीमा संबिदा के अंतर्गत अध्यर्पित प्रीमियमों के 20 प्रतिशत से अधिक से युक्त पुनर्बीमाकर्ता तथा कुल अध्यर्पित प्रीमियमों के 5 प्रतिशत से अधिक से युक्त पुनर्बीमाकर्ता।
 - घ. उस/उन पुनर्बीमाकर्ता(ओं) का/के नाम जिसके/जिनके साथ बीमाकर्ता ने पुनर्बीमा व्यवस्थाएँ की हैं, उनके शेयर और पिछले पाँच वर्ष के लिए उनकी रेटिंग ।

बशर्ते कि प्राधिकरण यदि आवश्यक समझे तो बीमाकर्ता से समय-समय पर कोई भी अतिरिक्त सूचना प्राप्त करेगा तथा बीमाकर्ता ऐसी सूचना प्राधिकरण को तत्काल प्रस्तुत करेगा ।

- ग. बीमाकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि विभिन्न अर्थपरक आपदा परिक्षणों का प्रयोग करते हुए आपाती जोखिमों के संबंध में की गई पुनर्बीमा व्यवस्थाएँ पर्याप्त हैं तथा पुनर्बीमा कार्यक्रम के साथ उन्हें प्राधिकरण के पास दाखिल करने से पहले निदेशक मंडल ने उनका अनुमोदन किया है ।
- घ. बीमाकर्ता पुनर्बीमा व्यवस्थाओं की ऋण जोखिम और संकेद्रण जोखिम का निर्धारण करेगा तथा ऐसी जोखिमों, यदि कोई हों, को कम करने के लिए किये गये उपाय पुनर्बीमा कार्यक्रम में स्पष्ट करेगा ।
- ङ. प्राधिकरण पुनर्बीमा कार्यक्रम, विनियम 5 में निर्दिष्ट रूप में प्रतिधारण नीति के विवरण तथा विनियम 6 के अंतर्गत यदि अपेक्षित हो तो अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए, पुनर्बीमा कार्यक्रम के साथ प्रस्तुत विनियामक रिपोर्टिंग प्रतिधारण सीमाओं पर विस्तृत रिपोर्ट की जाँच करेगा, कि :
 - i. उप-विनियम 4 (क) में निर्दिष्ट उद्देश्य पूरे किये गये हैं;
 - ii. प्रतिधारण सीमाओं का परिकलन करने में बीमाकर्ता की वित्तीय शक्ति, पुनर्बीमा नीति, हामीदारी (जोखिम अंकन) क्षमता, व्यवसाय की मात्रा आदि पर विचार किया गया है।
- च. यदि बीमाकर्ताओं का पुनर्बीमा कार्यक्रम इस विनियम के समग्र उद्देश्य के अनुरूप नहीं पाया जाता, तो प्राधिकरण शोधक्षमता का परिकलन करने के प्रयोजनों के लिए जोखिम पर राशि (सम-अट-रिस्क) कारक में पुनर्बीमा के लिए न्यूनतर साख की अनुमति दे सकेगा ।
- छ. (ङ) और (च) के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण सभी आवश्यक औचित्य-प्रतिपादनों, बीमाकर्ता की तकनीकी और वित्तीय शक्ति, सभी समर्थक आंकड़ों, और उन कारणों का परीक्षण करेगा कि पुनर्बीमा कार्यक्रम में प्रस्तुत रूप में इस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता क्यों होगी ।
- ज. प्राधिकरण उपर्युक्तानुसार पुनर्बीमा के ऐसे कार्यक्रम की संवीक्षा करेगा तथा यदि आवश्यक समझे तो परिवर्तन सुझाएगा और बीमाकर्ता अपने कार्यक्रम में तत्काल ऐसे परिवर्तन शामिल करेगा ।

5. प्रतिधारण नीति :

क. प्रत्येक बीमाकर्ता कंपनी के अंदर प्रतिधारण क्षमता निर्मित करेगा और एक निरंतर आधार पर प्रत्येक श्रेणी के उत्पाद/जोखिम के लिए उपयुक्त प्रतिधारण नीति बनायेगा तथा प्राधिकरण को प्रस्तुत वार्षिक पुनर्बीमा कार्यक्रम में

उभरते दावों के अनुभव, वित्तीय स्थिति, हमीदारी (जोखिम अंकन) क्षमता आदि के अनुसार ऐसी प्रतिधारण नीति को निरंतर आधार पर उचित सिद्ध करेगा।

ख. प्रत्येक बीमाकर्ता की ऐसी प्रतिधारण नीति के संबंध में निम्नलिखित की आवश्यकता होगी :

- i. उसका लक्ष्य भारत में अर्जित अधिकतम प्रीमियम का प्रतिधारण करना, उसकी वित्तीय शक्ति और व्यवसाय की मात्रा के अनुरूप सभी उत्पादों में प्रतिधारण को अधिकतम बनाना होगा तथा
- ii. उप-विनियम 4 (ख) में निर्दिष्ट रूप में पुनर्बीमा कार्यक्रम में उपर्युक्त को स्थापित करना।

ग. बीमाकर्ताओं को कोटा शेयर के संबंध में निम्नानुसार पुनर्बीमा करने की अनुमति दी जा सकती है :

- i. स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय और सामूहिक सावधि बीमा व्यवसाय के लिए परिचालन प्रारंभ करने के प्रारंभिक दो वर्षों में तथा
 - ii. स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय और सामूहिक सावधि बीमा व्यवसाय के लिए नई जोखिमों/उत्पादों को प्रारंभ करने के शुरुआती दो वर्षों में
- बशर्ते कि ऐसे सभी मामलों में न्यूनतम प्रतिधारण कम से कम स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय और सामूहिक सावधि बीमा व्यवसाय के लिए लागू सारणी : 6(1) में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुरूप होंगे।

घ. प्राधिकरण बीमाकर्ता से उसकी प्रतिधारण नीति को आगे और तर्कसंगत सिद्ध करने की अपेक्षा कर सकेगा तथा ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह आवश्यक समझेगा।

6. विनियामक रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ :

क. यदि यल्लु-दर/अस्वस्थता-दर जोखिमों के लिए ऐसे प्रतिधारण नीति के प्रतिधारण स्तर सारणी : 6 में बताई गई विनियामक रिपोर्टिंग प्रतिधारण सीमाओं से कम हैं अथवा एक विशिष्ट उत्पाद के अंतर्गत प्राप्त कुल प्रीमियम की तुलना में कुल पुनर्बीमा प्रीमियम सभी बचत उत्पादों के लिए 2 प्रतिशत और सभी सावधि बीमा/स्वास्थ्य उत्पादों के लिए 30 प्रतिशत से अधिक है तो ऐसे सभी मामलों में बीमाकर्ता अनुमोदन के लिए पुनर्बीमा कार्यक्रम के साथ निम्नलिखित के संबंध में प्रत्येक उत्पाद के लिए एक विस्तृत कार्यप्रणाली सूचित करेंगे :

- i. हमीदारी (जोखिम अंकन) प्रक्रियाएँ;
- ii. दावों की घट-बढ़ और दावों संबंधी अनुभव;
- iii. वर्तमान प्रतिधारण स्तर;
- iv. उनकी वित्तीय शक्ति;
- v. व्यवसाय की मात्रा;
- vi. पूँजीगत अपेक्षाएँ;
- vii. पुनर्बीमाकर्ताओं का पिछले दावों के भुगतान से संबंधित पूर्ववृत्त;
- viii. जोखिम को प्रारंभ करने के बाद हमीदारी (जोखिम अंकन) में क्षमता के निर्माण, दावों के निपटान, जोखिम प्रबंध, मूल्य-निर्धारण, मूल्यांकन, आदि के तौर पर क्षमता निर्माण के लिए किये गये उपाय, आदि

सारणी : 6

विनियामक रिपोर्टिंग प्रतिधारण सीमाएँ

क्रम सं.	बीमाकर्ता की आयु अथवा वर्ष जिसमें जोखिम प्रारंभ की गई है**	उत्पादों अथवा प्रकार	अथवा अनुवर्द्धियों का प्रकार	जोखिम पर राशि संबंधी प्रतिधारण सीमा। (रुपये में)
1	0 से 3 वर्ष दोनों सम्मिलित	विशुद्ध सुरक्षा उत्पाद जैसे सावधि बीमा, वैयक्तिक दुर्घटना उत्पाद आदि	सभी प्रकार के बचत उत्पाद जैसे बंदोबस्ती, यूलिटि संबद्ध उत्पाद आदि	5 लाख
				10 लाख

		सभी प्रकार के सामूहिक सुरक्षा उत्पाद	5 लाख
		वैयक्तिक दुर्घटना उत्पादों को छोड़कर सभी प्रकार के स्वास्थ्य बीमा उत्पाद	1 लाख
2	4 से 7 वर्ष दोनों सम्मिलित	विशुद्ध सुरक्षा उत्पाद जैसे सावधि बीमा, वैयक्तिक दुर्घटना उत्पाद आदि	10 लाख
		सभी प्रकार के बचत उत्पाद जैसे बंदोबस्ती, यूनिट संबद्ध उत्पाद आदि	20 लाख
		सभी प्रकार के सामूहिक सुरक्षा उत्पाद	10 लाख
		वैयक्तिक दुर्घटना उत्पादों को छोड़कर सभी प्रकार के स्वास्थ्य बीमा उत्पाद	3 लाख
3	8 से 11 वर्ष दोनों सम्मिलित	विशुद्ध सुरक्षा उत्पाद जैसे सावधि बीमा, वैयक्तिक दुर्घटना उत्पाद आदि	15 लाख
		सभी प्रकार के बचत उत्पाद जैसे बंदोबस्ती, यूनिट संबद्ध उत्पाद आदि	30 लाख
		सभी प्रकार के सामूहिक सुरक्षा उत्पाद	15 लाख
		वैयक्तिक दुर्घटना उत्पादों को छोड़कर सभी प्रकार के स्वास्थ्य बीमा उत्पाद	3 लाख
4	12 से 15 वर्ष दोनों सम्मिलित	विशुद्ध सुरक्षा उत्पाद जैसे सावधि बीमा, वैयक्तिक दुर्घटना उत्पाद आदि	20 लाख
		सभी प्रकार के बचत उत्पाद जैसे बंदोबस्ती, यूनिट संबद्ध उत्पाद आदि	30 लाख
		सभी प्रकार के सामूहिक सुरक्षा उत्पाद	20 लाख
		वैयक्तिक दुर्घटना उत्पादों को छोड़कर सभी प्रकार के स्वास्थ्य बीमा उत्पाद	4 लाख
5	15 वर्ष से अधिक	सभी चार प्रकार के उत्पादों के लिए सीमाएँ प्राधिकरण समय-समय पर निर्धारित कर सकता है	

**यदि बीमाकर्ता जोखिम पहली बार प्रारंभ कर रहा है, तो ऐसे मामलों में बीमाकर्ता को आयु का विचार किये बिना #1 में निर्दिष्ट सीमाएँ लागू होंगी।

परंतु आगे यह भी शर्त है कि प्राधिकरण विनियामक रियोल्टिंग प्रतिधारण सीमाओं को प्रत्येक दो वर्ष में समीक्षा करेगा तथा यदि आवश्यक हो तो समय-समय पर इन सीमाओं का ऊर्ध्वमुखी परिशोधन कर सकेगा।

7. पुनर्बीमा संधियों का प्रस्तुतीकरण :

क. सभी पुनर्बीमा व्यवस्थाओं को प्रलेखीकृत किया जाएगा तथा प्राधिकरण के पास वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 30 दिन के अंदर दाखिल किया जाएगा।

ख. वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 30 दिन के अंदर प्रत्येक बीमाकर्ता प्राधिकरण के पास उस वर्ष के संबंध में प्रत्येक पुनर्बीमा संधि संविदा की एक प्रति भी पुनर्बीमाकर्ताओं की सूची, उनकी रेटिंग और पुनर्बीमा व्यवस्था में उनके श्रेयों सहित दाखिल करेगा।

6636/13-2

बशर्ते कि पुनर्बीमा संधि की शर्तों में कोई भी परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होने के 15 दिन के अंदर प्राधिकरण के पास दाखिल किया जाएगा।

8. पुनर्बीमा व्यवसाय का स्थापन :

- क. बीमाकर्ता भारत से बाहर अपना पुनर्बीमा व्यवसाय केवल ऐसे पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ करेंगे जिनके पास कारोबार करने के वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष से गणना करके पिछले पाँच वर्ष की अवधि में कम से कम बीबीबी की क्रेडिट रेटिंग (स्टैंडर्ड एण्ड पूअर की) अथवा किसी भी अन्य अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी की समतुल्य रेटिंग हो।
- ख. बशर्ते कि बीमाकर्ता द्वारा किसी अन्य पुनर्बीमाकर्ता के साथ व्यवसाय का स्थापन प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से होगा। परंतु आगे यह भी शर्त है कि पुनर्बीमा का कोई भी कार्यक्रम मूल प्रीमियम आधार पर नहीं होगा।
- घ. परंतु आगे यह भी शर्त है कि कोई भी जीवन बीमाकर्ता अपनी प्रवर्तक कंपनी अथवा अपनी सहयोगी/समूह कंपनी के साथ पुनर्बीमा संधि व्यवस्था नहीं करेगा, केवल उन शर्तों को छोड़कर जो बाजार में वाणिज्यिक तौर पर प्रतिस्पर्धात्मक हों और इस प्रकार प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से होगा जोकि अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- ङ. जीवन बीमाकर्ता पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ व्यवसाय के स्थापन से पहले पुनर्बीमा कार्यक्रम में उनकी सहभागिता को स्वीकार करते समय, उपलब्ध रूप में पुनर्बीमाकर्ताओं के पिछली दावा निष्पादन-क्षमता का ध्यान रखेंगे।

9. विवरणियों का प्रस्तुतीकरण :

- क. प्रत्येक बीमाकर्ता से यह अपेक्षित होगा कि वह प्राधिकरण को अनुबंध I के अनुसार तथा समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित और विनिर्दिष्ट किये जानेवाले ऐसे अन्य प्रपत्रों में अपने पुनर्बीमा लेनदेनों से संबंधित सूचना और विवरणियाँ प्रस्तुत करे।

स्पष्टीकरण : सभी जीवन बीमाकर्ता अनुबंध I के अनुसार अपेक्षित सूचना और विवरणियाँ प्रस्तुत करेंगे :

- उन प्रपत्रों के मामले में जिन्हें वार्षिक आधार पर प्रस्तुत किया जाना है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 45 दिन के अंदर।
- अन्य सभी मामलों में स्थिति के अनुसार प्रत्येक तिमाही/छमाही की समाप्ति से 15 दिन के अंदर।

10. आवक पुनर्बीमा व्यवसाय :

- क. आवक पुनर्बीमा व्यवसाय करने के इच्छुक प्रत्येक बीमाकर्ता ऐसे व्यवसाय के लिए अपेक्षित रूप में सभी व्यावसायिक पूर्वानुमान तथा सभी प्रलेखन प्रस्तुत करते हुए प्राधिकरण के विशिष्ट अनुमोदन की अपेक्षा करेगा।
- ख. आवक पुनर्बीमा व्यवसाय करने के इच्छुक प्रत्येक बीमाकर्ता के पास आवक पुनर्बीमा व्यवसाय की हमीदारी (जोखिम अंकन) के लिए उसके निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक युगरिभूषित हमीदारी (जोखिम अंकन) नीति होगी।
- ग. बीमाकर्ता प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से कम से कम पैंतालीस दिन पहले प्राधिकरण के पास कारोबार के वगों, भौगोलिक विस्तार, हमीदारी (जोखिम अंकन) की सीमाओं और लाभ उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए अपनी हमीदारी (जोखिम अंकन) नीति दाखिल करेगा।

घ. बीमाकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि पुनर्बीमा व्यवसाय की स्वीकृति के संबंध में निर्णय यथेष्ट जानकारी और अनुभव रखनेवाले व्यक्तियों द्वारा, अधिमानतः बीमाकर्ता के नियुक्त बीमांकिक के साथ परामर्श करने के बाद लिये जाएँगे।

ङ. बीमाकर्ता जब भी उक्त हमीदारी (जोखिम अंकन) नीति में उसके निदेशक मंडल से विधिवत् अनुमोदित कोई परिवर्तन किया जाता है तब उन परिवर्तनों को भी प्राधिकरण के पास दाखिल करेगा।

च. बीमाकर्ता प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय से पृथक् रूप से स्वीकृत पुनर्बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रीमियमों, दावों आदि जैसी सभी प्राप्तियों और भुगतान दशविवेगा।

11. निरसन और बचत :

- क. ये विनियम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा - पुनर्बीमा) विनियम, 2000 का निरसन करते हैं।
- ख. जब तक इन विनियमों द्वारा अन्यथा व्यवस्थित न हो, यह नहीं माना जाएगा कि इन विनियमों में निहित कोई भी बात इन विनियमों के प्रवृत्त होने से पहले की गई व्यवस्थाओं को अमान्य ठहराती है।

जे. हरिनारायण, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/16/12/असा.]

पुनर्बीमा (जीवन) विभाग के लिए प्रयुक्त होने वाले फार्म और रिपोर्टें

फार्म कूट	फार्म का नाम
	जीवन बीमा अथवा पुनर्बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्तओं द्वारा भरी जानेवाली विवरणियाँ
इन्पुट पुनर्बीमा 1	फार्म एलआर-1 : वर्ष के दौरान पुनर्बीमा संबंधियों की सूची
इन्पुट पुनर्बीमा 1.1	वर्ष के दौरान पुनर्बीमा संबंधियों का सारांश
इन्पुट पुनर्बीमा 2	फार्म एलआर-2 : वर्ष के लिए आखिरी संहि का विवरण
इन्पुट पुनर्बीमा 3	फार्म एलआर-3 : 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए आखिरी संहि का परिणाम
इन्पुट पुनर्बीमा 4	फार्म एलआर-4 : वर्ष के लिए कोटा शेयर संहि का विवरण
इन्पुट पुनर्बीमा 5	फार्म एलआर-5 : 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए कोटा शेयर आखिरी संहि का परिणाम
इन्पुट पुनर्बीमा 6	फार्म एलआर-6 : वर्ष के लिए हानि आखिरी / आपाती संहि का विवरण
इन्पुट पुनर्बीमा 7	फार्म एलआर-7 : 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए हानि आखिरी/ आपाती संहि का परिणाम
इन्पुट पुनर्बीमा 8	फार्म एलआर-8 : 31 मार्च/30 सितंबर/31 दिसंबर. को समाप्त तिमाही के लिए पुनर्बीमा खर्चे
इन्पुट पुनर्बीमा 9	पुनर्बीमा दर डेटा के लिए डेटा अपलोडिंग फॉर्मेट
इन्पुट पुनर्बीमा 10	बकाया वसूलियों का विवरण - बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये जाने के लिए
इन्पुट पुनर्बीमा 11	पुनर्बीमा की वसूलियों का विवरण - आंक
इन्पुट पुनर्बीमा 12	पुनर्बीमा कार्यक्रम विवरण - आंक
इन्पुट पुनर्बीमा 13	पुनर्बीमा कार्यक्रम विवरण -आंक
विवरण	
विवरण 1 को समाप्त तिमाही के लिए पुनर्बीमा सांख्यिकी का विवरण
विवरण 2	पुनर्बीमा विवरण - प्रचलित पॉलिसियाँ
विवरण 3	पुनर्बीमा विवरण - वापस ली गई पॉलिसियाँ

नोट-पुनर्बीमा 1

गर्म एलआर-1 : वर्ष के दौरान पुनर्बीमा संधियों की सूची

बोझन और उद्देश्य :

इस फार्म का उद्देश्य पुनर्बीमाकर्तओं, संधियों और प्रत्येक संधि में सम्मिलित किये गये उत्पादों के संबंध में सूचना प्राप्त करना है।

यह वर्तमान फार्म एलआर-1 के आधार पर पुनः निर्मित फार्म है।

इस फार्म की आवृत्ति वार्षिक है।

नट्टर और मानदंड

वर्ष :

वर्गीकरण :

संधियों की संख्या :

सि का विवरण :

सि का नाम

सि का नाम	सि की श्रेणी	सि का स्वरूप	पुनर्बीमाकर्तों का नाम	पुनर्बीमाकर्तों के शेयर का प्रतिशत	उत्पाद(दों) का नाम	यूआईएन
			1. पुनर्बीमाकर्ता 1 2. पुनर्बीमाकर्ता 2			

बीमाकर्ता का नाम :

श्रेणी :

बीमाकर्तों की कुल संख्या :

बीमाकर्ता का विवरण :

बीमाकर्ता का नाम

समूह कंपनी है या नहीं ?	पुनर्बीमाकर्ता की वर्तमान रेटिंग (एसएचडी साइट के अनुसार अथवा समतुल्य)	पिछली रेटिंग	पुनर्बीमाकर्ता का पता

प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त सूचना हमारे अपिलेटों के अनुसार सत्य और सही है।

(नियुक्त बीमाकर्ता के हस्ताक्षर)

(प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर)

(नियुक्त बीमाकर्ता का नाम)

(प्रधान अधिकारी का नाम)

दिनांक : (दिन)

(माह)

(वर्ष)

न्युट पुनर्बीमा 1.1
वर्ष के दौरान पुनर्बीमा संधियों का सारांश

भोजन और उद्देश्य

यह फार्म वर्ष के दौरान पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा की गई संधियों का सारांश प्राप्त करता है।
यह एक नया फार्म है जो विभाग की आवश्यकताओं के आधार पर निर्मित किया गया है।
इस विवरणी की आवृत्ति वार्षिक है।

रजिस्टर और मानदंड

वर्ष :

वर्गीकरण :

बीमाकर्ता का नाम :

श्रेणी :

विवरण	आधिक्य संधि	कोटा संधियाँ	शेयर	हानि आधिक्य रक्षा संधि	ऐच्छिक पुनर्बीमा	आपाती	कोई अन्य
वर्ष के प्रारंभ में संधियों की संख्या	क	ख	ग	घ	ङ	च	
जोड़ी गई संधियाँ							
आशोचनों की संख्या							
समाप्त/लंबित संधियों की संख्या							
वर्ष के अंत में संधियों की संख्या							

इनपुट_पुनर्बीमा_2

फार्म एलआर-2 : वर्ष के लिए आधिक्य संधि का विवरण*

प्रयोजन और उद्देश्य

इस फार्म का उद्देश्य बीमाकर्ता द्वारा दाखिल की गई आधिक्य संधियों का विवरण प्राप्त करना है। यह वर्तमान फार्म एलआर-2 के आधार पर पुनः निर्मित फार्म है। इस विवरणों की आवृत्ति वार्षिक है।

फिल्टर और मानदंड

वर्ष :

वर्गीकरण :

बीमाकर्ता का नाम :

श्रेणी :

संधि का नाम :

संधि का वर्ष :

सम्मिलित की गई जीवन बीमा उत्पादों की संख्या :

सम्मिलित किये गये उत्पादों का नाम :

अधिक उत्पाद जोड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें

निकाली गई जोखिम :

अधिक जोखिमों को जोड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें

प्रतिधारण का आधार :

एक विकल्प का चयन करें

शुद्ध प्रतिधारण :

क) सामान्य जोखिम :

ख) अवमानक जोखिम :

पुनर्बीमा का आधार :

एक विकल्प का चयन करें

आधिक्य संधि की सीमा :

क) सामान्य जोखिम :

ख) अवमानक जोखिम :

ग) कार्डिनार :

क) मृत्यु और अशक्तता जोखिम (कृपया अनुसूची संलग्न करें)
ख) अनुसूद्धियाँ

क) प्रतिशत :
ख) प्रबंध व्यय के लिए कटौती :
ग) आगे ले जाई गई हानि का प्राक्धान :
घ) जीवनों की न्यूनतम संख्या :

क) प्रतिधारण का आधार और प्रतिशत :
ख) मुक्त करने की पद्धति :
ग) देय ब्याज :

क) सूचना अपेक्षित : हाँ / नहीं

ख) प्रतिबंध और समापन :

ग) समयपूर्व समाप्ति पर दंड :

मापन :

नर्चीमा प्रीमियम की दरें :

नर्चीमा कमीशन :

एम कमीशन :

प्रारक्षित निधि/जमा राशियाँ :

नर्चीमाकर्ताओं की सूची

पुनर्चीमाकर्ता का नाम	संवि में शेयर	दलाल का नाम, यदि कोई हो

म प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त सूचना हमारे अभिलेखों के अनुसार सत्य और सही है।

(नियुक्त बीमाधिकार के हस्ताक्षर)

(प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर)

(नियुक्त बीमाधिकार का नाम)

(प्रधान अधिकारी का नाम)

दिनांक : (दिन) (माह) (वर्ष)

टिप्पणी : * बीमाकर्ता के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक संधि के लिए अलग एलआर-2 फार्म प्रस्तुत करें।
सभी आंकड़े/राशियाँ रुपये में हैं।
सभी आंकड़े/राशियों को पूर्णांकों में प्रकट करना होगा।

इनपुट_पुनर्बीमा_3

फार्म एलआर-3 : 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए आधिक्य संधि का परिणाम

प्रयोजन और उद्देश्य

इस फार्म का उद्देश्य आधिक्य संधि के लिए पुनर्बीमाकर्ता के व्यवसाय का डेटा प्राप्त करना है।

यह वर्तमान एलआर-3 फार्म के आधार पर पुनः निर्मित फार्म है।

यह फार्म वार्षिक है।

दर और मानदंड

वर्ष :

दिष्टि का नाम :

श्रेणी :

बीमाकर्ता का नाम :

पुनर्बीमाकर्ता का नाम**:

वर्गीकरण :

वर्ष	पुनर्बीमाकृत संख्या		जीवनो की		पुनर्बीमाकृत राशि			पुनर्बीमा प्रीमियम		पुनर्बीमा कमीशन (यदि कोई हो)	अदा किये गये पुनर्बीमा दावे		लाभ कमीशन	शेष
	नये अर्थापण	वर्तमान अर्थापण	नये अर्थापण	वर्तमान अर्थापण	नये अर्थापण	वर्तमान अर्थापण	नये अर्थापण	वर्तमान अर्थापण	संख्या		राशि	अ		
	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	ट					ड=छ+ट+ज- च
चालू वर्ष														
पहला पूर्ववर्ती वर्ष														
दूसरा पूर्ववर्ती वर्ष														
तीसरा पूर्ववर्ती वर्ष														
चौथा पूर्ववर्ती वर्ष														

* आंकड़े/राशियाँ रुपये में हैं।

** आंकड़े/राशियों को पूर्णांकों में प्रविष्ट करना होगा।

प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त सूचना हमारे अभिलेखों के अनुसार सत्य और सही है।

(नियुक्त बीमाकिक के हस्ताक्षर)

(प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर)

(नियुक्त बीमाकिक का नाम)

(प्रधान अधिकारी का नाम)

दिनांक : (दिन)

(माह)

(वर्ष)

इनपुट_पुनर्बीमा_4

फार्म एलआर-4 : वर्ष के लिए कोटा शेयर संधि का विवरण*

प्रयोजन और उद्देश्य

इस फार्म का उद्देश्य बीमाकर्ता द्वारा दाखिल की गई कोटा शेयर संधियों का विवरण प्राप्त करना है। यह वर्तमान फार्म एलआर-4 के आधार पर पुनः निर्मित फार्म है। इस विवरणी की आवृत्ति वार्षिक है।

फिल्टर और मानदंड

वर्ष :

वर्गीकरण :

संधि का नाम :

संधि का वर्ष :

सम्मिलित किये गये बीमा उत्पादों की संख्या :

सम्मिलित किये गये उत्पादों का नाम :

बीमाकर्ता का नाम :
श्रेणी :

अधिक उत्पाद जोड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें

अधिक जोखिमों को जोड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें

निकाली गई जोखिम :

सकल जोखिम अंकन सीमा :

क) सामान्य जोखिमों :

ख) अवमानक जोखिमों :

शुद्ध प्रतिधारण :

क) सामान्य जोखिम :

ख) अवमानक जोखिम :

सकल सीमाओं से अधिक क्या कोई आधिक्य संधि परिचालित है :

अध्यर्पण प्रतिशत :

हाँ / नहीं

..... प्रतिशत

संघि की सीमाएँ :

पुनर्बीमा प्रीमियम की दर :

क) मूल रूप में (मूल शर्तों के अनुसार) :

ख) अनुसूची के अनुसार (अनुसूची संलग्न करें) :

संबंधित अनुसूची संलग्न करें (यदि लागू हो) :

पुनर्बीमा की शर्तें (समानुपात सहित) :

पुनर्बीमा कमीशन :

लाभ कमीशन :

क) प्रतिशत :

ख) प्रबंध व्यव के लिए कटौती :

ग) आगे ले जाई गई हानि का प्रावधान :

घ) जीवनों की न्यूनतम संख्या :

आरक्षित निधि / जमा राशिधियाँ :

क) प्रतिधारण का आधार और प्रतिशत :

ख) मुकत करने की पद्धति :

ग) देय ब्याज :

समापन :

क) सूचना अर्पणित :

ख) प्रतिबंध और समापन :

ग) समयपूर्व समापन पर दंड :

हाँ / नहीं

प्राउज करे

पुनर्बीमाकर्तओं की सूची

पुनर्बीमाकर्ता का नाम	संघि में शेयर	दस्तावेज का नाम, यदि कोई हो

हम प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त सूचना हमारे अभिलेखों के अनुसार सत्य और सही है।

(नियुक्त बीमाधिकारी के हस्ताक्षर)	(प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर)
(नियुक्त बीमाधिकारी का नाम)	(प्रधान अधिकारी का नाम)

दिनांक : (दिन) (माह) (वर्ष)

टिप्पणी :

*बीमाकर्ता के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक संधि के लिए अलग एलआर-4 फार्म प्रस्तुत करे ।

सभी आंकड़े/राशियाँ रुपये में हैं ।

सभी आंकड़े/राशियों को पूर्णांकों में प्रविष्ट करना होगा।

इनपुट_पुनर्बीमा_5

फार्म एलआर-5 : 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए कोटा शेयर संधि का परिणाम

प्रयोजन और उद्देश्य

इस फार्म का प्रयोजन कोटा शेयर संधि के लिए पुनर्बीमा व्यवसाय का डेटा प्राप्त करना है।

यह वर्तमान फार्म एलआर-5 के आधार पर पुनः निर्मित फार्म है।

यह फार्म वार्षिक है।

फिल्टर और मानदंड

वर्ष :

संधि का नाम :

वर्गीकरण :

बीमाकर्ता का नाम :

पुनर्बीमाकर्ता का नाम** :

श्रेणी :

#	वर्ष	पुनर्बीमित जीवनो को संख्या		पुनर्बीमित राशि		पुनर्बीमा प्रीमियम		पुनर्बीमा कमीशन (यदि कोई हो)	अदा किये गये पुनर्बीमा दावे			लाभ कमीशन	शेष
		नये अस्थापण	वर्तमान अस्थापण	नये अस्थापण	वर्तमान अस्थापण	नये अस्थापण	वर्तमान अस्थापण		संख्या	राशि	कमीशन		
1	चालू वर्ष												
2	पहला पूर्ववर्ती वर्ष												
3	दूसरा पूर्ववर्ती वर्ष												
4	तीसरा पूर्ववर्ती वर्ष												
5	चौथा पूर्ववर्ती वर्ष												

सभी आंकड़े / राशियाँ रुपये में हैं।

सभी आंकड़े/राशियों को पूर्णांकों में प्रविष्ट करना होगा।

हम प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त सूचना हमारे अभिलेखों के अनुसार सत्य और सही है।

(नियुक्त बीमाधिक के हस्ताक्षर)

(प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर)

(नियुक्त बीमाधिक का नाम)

(प्रधान अधिकारी का नाम)

दिनांक : (दिन) (माह) (वर्ष)

इन्फुट पुनर्बीमा 6

फार्म एलआर-6 : वर्ष के लिए हानि आधिक्य/आपाती संधि का विवरण*

प्रयोजन और उद्देश्य

इस फार्म का उद्देश्य बीमाकर्ता द्वारा दाखिल किये गये हानि आधिक्य / आपाती संधियों का विवरण प्राप्त करना है।

यह वर्तमान फार्म एलआर-6 के आधार पर पुनः निर्मित फार्म है।

इस विवरणी की आवृत्ति वार्षिक है।

फिस्टर और मानदंड

वर्ष :

वर्गीकरण :

बीमाकर्ता का नाम :

श्रेणी :

संधि का नाम :

संधि का वर्ष :

संरक्षित संविभाग :

संविभाग के लिए प्रति जीवन जोखिम पर अधिकतम राशि :

संधि रक्षा : क) परिचालन का आधार :

ख) सुरक्षा की सीमा :

ग) हानि प्रतिधारण :

एक वर्ष में अधिकतम पुनःप्राप्य :

हानि आधिक्य प्रीमियम : क) आधार :

ख) दर :

ग) न्यूनतम राशि :

घ) जमा प्रीमियम :

ङ) पुनःस्थापन प्रीमियम :

च) अनुभव वापसी :

समापन :

क) नोटिस अपेक्षित :

ख) समापन पर प्रतिबंध :

हाँ / नहीं

ग) समयपूर्व समापन पर दंड :

बीमाकर्ताओं की सूची :

पुनर्बीमाकर्ता का नाम	संघि में शेयर	दलाल का नाम, यदि कोई हो

मैं प्रमाणित करते हूँ कि उपर्युक्त सूचना हमारे अभिलेखों के अनुसार सत्य और सही है।

(नियुक्त बीमाधिक के हस्ताक्षर)

(प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर)

(नियुक्त बीमाधिक का नाम)

(प्रधान अधिकारी का नाम)

दिनांक : (दिन) (माह) (वर्ष)

टिप्पणी :
*बीमाकर्ता के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक संघि के लिए अलग एलआर-6 फार्म प्रस्तुत करें।
सभी आंकड़े/राशियाँ रुपये में हैं।
सभी आंकड़े/राशियों को पूर्णांकों में प्रविष्ट करना होगा।

इन्पुट पुनर्बीमा 7

फार्म एलआर-7 : 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए हानि आधिक्य/आपाती संधि का परिणाम

प्रयोजन और उद्देश्य

इस फार्म का प्रयोजन हानि आधिक्य/आपात संधि के लिए पुनर्बीमा के व्यवसाय का आंकड़े प्राप्त करना है।

यह वर्तमान फार्म एलआर-7 के आधार पर पुनः निर्मित फार्म है।

यह फार्म वार्षिक है।

फिल्टर और मानदंड

वर्ष :

वर्गीकरण :

बीमाकर्ता का नाम :

श्रेणी :

#	वर्ष	पुनर्बीमा प्रीमियम		पुनर्बीमा कर्मीशन (यदि कोई हो)	अदा किये गये पुनर्बीमा संबंधी दावे		शेष
		नये अधर्पण	वर्तमान अधर्पण		संख्या	राशि	
1	चालू वर्ष	संभ्र कूट	ख	ग	घ	छ	ज=ग+छ-क-ख
2	पहला पूर्ववर्ती वर्ष						
3	दूसरा पूर्ववर्ती वर्ष						
4	तीसरा पूर्ववर्ती वर्ष						
5	चौथा पूर्ववर्ती वर्ष						

सभी आंकड़े/राशियाँ रुपये में हैं।

सभी आंकड़े/राशियों को पूर्णांकों में प्रकट करना होगा।

हम प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त सूचना हमारे अभिलेखों के अनुसार सत्य और सही है।

(नियुक्त बीमाधिक के हस्ताक्षर)

(प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर)

(नियुक्त बीमाधिक का नाम)

(प्रधान अधिकारी का नाम)

(दिनांक)

टिप्पणी :

यह फार्म संधियों और पुनर्बीमाकर्ताओं के सभी संभव संयोजनों के लिए भरा जाना चाहिए। अतः यदि "संधि 1" में 2 विभिन्न पुनर्बीमाकर्ता

"पुनर्बीमाकर्ता 1" और "पुनर्बीमाकर्ता 2" शामिल हैं, तो यह फार्म दो बार प्रस्तुत किया जाएगा।

इन्सुट पुनर्बीमा 8

फार्म एलआर-8 : 30 जून/30 सितंबर/31 दिसंबर/31 मार्च को समाप्त तिमाही के लिए पुनर्बीमा खाते

प्रयोजन और उद्देश्य

इस फार्म का प्रयोजन सभी संघियों के लिए पुनर्बीमा के व्यवसाय का आंकड़ा प्राप्त करना है।

यह वर्तमान फार्म एलआर-8 का पुनः निर्माण है। कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

यह फार्म तिमाही है।

फिल्टर और मानदंड

वर्ष :

बीमाकर्ता का नाम :

श्रेणी :

उप वर्ग :

तिमाही :
वर्गीकरण :
प्रभाग :
समूह :

#	विवरण	राशि (रुपये '000 में) क
	संयोजित व्यवसाय	संयोजित
1	खाते का प्रारंभिक शेष	
2	घटाएँ	
2.1	अदा किया गया सकल पुनर्बीमा प्रीमियम	
2.ii	पुनर्बीमाकर्ता को कोई अन्य भुगतान (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	
3	जोड़ें	
3.1	पुनर्बीमाकर्ता से प्राप्त कर्पोशन	
3.ii	पुनर्बीमाकर्ता द्वारा (दावों के संबंध में) दावा भुगतान को राशि	
3.iii	पुनर्बीमाकर्ता से प्राप्त कोई अन्य भुगतान (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	
4	खाते का अंतिम शेष	
5	तिमाही के दौरान बीमाकर्ता द्वारा प्राप्त कुल प्रीमियम	
6	बीमाकर्ता द्वारा तिमाही के दौरान भुगतान किये गये कुल दावे	
	स्वीकृत व्यवसाय	
1	खाते का प्रारंभिक शेष	
2	जोड़ें	
i	अर्पणकर्ता कंपनियों द्वारा अदा किया गया सकल पुनर्बीमा प्रीमियम	
ii	अर्पणकर्ता कंपनियों से कोई अन्य भुगतान (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	
3	घटाएँ	
i	अर्पणकर्ता कंपनियों को अदा किया गया कर्पोशन	
ii	अर्पणकर्ता कंपनी को अदा की गई दावों संबंधी राशि	
iii	अर्पणकर्ता कंपनियों को कोई अन्य भुगतान (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	
4	खाते का अंतिम शेष	

हम प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त सूचना हमारे अभिलेखों के अनुसार सत्य और सही है।

(नियुक्त बीमाधिकारी के हस्ताक्षर)

(प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर)

(नियुक्त बीमाधिकारी का नाम)

(प्रधान अधिकारी का नाम)

(दिनांक)

इनपुट_पुनर्बीमा_9
पुनर्बीमा दर डेटा अपलोडिंग के लिए फार्म

प्रयोजन और उद्देश्य

इस फार्मेट का प्रयोजन बीमाकर्ता से पुनर्बीमा दरों संबंधी डेटा प्राप्त करना है।

यह एक डेटा लोडिंग फार्मेट है जिसे बीमाकर्ता द्वारा वर्ष में एक बार लोड किया जाएगा।

फिल्टर और मानदंड

वर्ष :

बीमाकर्ता का नाम :

श्रेणी :

तिमाही :

वर्गिकरण :

#	संघि का नाम	संघ कुट	पुनर्बीमाकर्ता का नाम	क	पिछले जन्म दिवस पर आयु / आयु वर्ग	ख	लिंग	ग	पुनर्बीमा दर	घ

सभी आंकड़े/राशियाँ रुपये में हैं।
सभी आंकड़े/राशियों को पूर्णांकों में प्रविष्ट करना होगा।

पुनर्बीमा 12

बीमा कार्यक्रम विवरण - आवक

न और उद्देश्य

इ इनपुट फार्म पुनर्बीमा कार्यक्रम का विवरण प्राप्त करने के लिए है।

इ विवरणी की आवृत्ति वार्षिक है।

र और मानदंड

वर्ष :

बीमाकर्ता :

व्यवसाय की श्रेणी :

(रुपये लाख में)

वर्ष	क्षेत्र	संघि के आधार पर पिछले (समाप्त हो रहे) वर्ष का आंकड़ा	समाप्त हो रहा वर्ष	प्रस्तावित वर्ष	दिया गया अंतिम राशि
1	वर्तमान पुनर्बीमा व्यवस्थाएं (जारी रहने के लिए प्रत्याशित/नई/अन्य व्यवस्थाएं)				
.1	पुनर्बीमाकर्ता का नाम				
.2	संघि का प्रकार				
.3	प्रतिवारण सीमा				
.4	कटौतीयोग्य				
.5	पुनर्बीमा व्यवस्थाएं (ब्योरा प्रस्तुत करें)				
.6	पुनर्बीमा कमीशन				
.7	लाभ कमीशन				
.8	कार्यक्रम में परिवर्तन (यदि कोई हो) (ब्योरा प्रस्तुत करें)				
.9	ऐसे परिवर्तन के लिए तर्कबोध				

न पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के लिए पुनर्बीमाकर्ता का विवरण

माकर्ता	वसूल किया गया कुल प्रीमियम	अध्यर्पित प्रीमियम		प्राप्त कमीशन	कुल दावे	कुल प्राप्त दावे
		भारत के अंदर	भारत के बाहर			

क्षेत्र	संभव कूट	चालू वर्ष क	अगला वर्ष ख
2(i)	आवक पुनर्बीमा		
2.i.1	बीमाकर्ता का नाम		
2.i.2	पुनर्बीमाकर्ता के लिए प्रत्याशित जोखिम का स्वरूप		
2.i.3	संघि का प्रकार		
2.i.4	उत्पादों का प्रकार/सूची		
2.i.5	अर्पणकर्ता की प्रतिधारण सीमा		
2.i.6	अर्पणकर्ता के लिए कटौतियोग्य		
2.i.7	पुनर्बीमा व्यवस्थाएँ (ब्योरा प्रस्तुत करें)		
2.i.8	पुनर्बीमा कमीशन		
2.i.9	लाभ कमीशन		
2.i.10	कार्यक्रम में परिवर्तन (यदि कोई हो) (ब्योरा प्रस्तुत करें)		
2.i.11	ऐसे परिवर्तन के लिए तर्कबोध		

5 पुनर्बीमा के लिए पुनर्बीमाकर्ता का विवरण

माकर्ता	वसूल किया गया कुल प्रीमियम	अध्यर्पित प्रीमियम		प्राप्त कमीशन	कुल दावे राशि	कुल प्राप्त दावे राशि
		भारत के अंदर	भारत के बाहर			

क्षेत्र	संभव कूट	चालू वर्ष क	पिछला वर्ष ख
2(ii)	क्या आप पुनः अध्यर्पण का प्रस्ताव करते हैं? (यदि हाँ, तो निम्नलिखित ब्योरा प्रस्तुत करें)		
2.ii.1	बीमाकर्ता / पुनर्बीमाकर्ता का नाम		
2.ii.2	पुनर्बीमाकर्ता के लिए प्रत्याशित जोखिम का स्वरूप		
2.ii.3	संघि का प्रकार		
2.ii.4	उत्पाद (उत्पादों) की सूची		
2.ii.5	अर्पणकर्ता की प्रतिधारण सीमा		
2.ii.6	अर्पणकर्ता के लिए कटौतियोग्य		
2.ii.7	पुनर्बीमा व्यवस्थाएँ (ब्योरा प्रस्तुत करें)		
2.ii.8	पुनर्बीमा कमीशन		
2.ii.9	लाभ कमीशन		
2.ii.10	कार्यक्रम में परिवर्तन (यदि कोई हो) (ब्योरा प्रस्तुत करें)		
2.ii.11	ऐसे परिवर्तन के लिए तर्कबोध		

न: अध्यापण की स्थिति में पुनर्बीमाकर्ता का विवरण

बीमाकर्ता	वसूल किया गया कुल प्रीमियम	अध्यर्पित प्रीमियम		प्राप्त कमीशन	कुल दावे राशि	कुल प्राप्त दावे राशि
		भारत के अंदर	भारत के बाहर			

पुनर्बीमा 13

बीमा कार्यक्रम विवरण - जावक

1 और उद्देश्य

इनपुट फार्म पुनर्बीमा कार्यक्रम का विवरण प्राप्त करने के लिए है।

विवरणों की आवृत्ति वार्षिक है।

2 और मानदंड

वर्ष :

बीमाकर्ता :

व्यवसाय की श्रेणी :

संधि के आधार पर पिछले समाल हो रहे वर्ष के आंकड़े

(लाख रुपये)

क्षेत्र	समाप्त हो रहा वर्ष	प्रस्तावित वर्ष	क्षेत्र
1 वर्तमान पुनर्बीमा व्यवस्थाएँ (जारी रहने के लिए प्रत्याशित/नई/अन्य व्यवस्थाएँ)	क	ख	
1 पुनर्बीमाकर्ता का नाम			
2 संधि का प्रकार			
3 प्रत्यापण सीमा			
4 कटौतीयोग्य			
5 पुनर्बीमा व्यवस्थाएँ (ब्योरा प्रस्तुत करें)			
5 पुनर्बीमा कमीशन			
7 लाभ कमीशन			
8 कार्यक्रम में परिवर्तन (यदि कोई हो) (ब्योरा प्रस्तुत करें)			
9 ऐसे परिवर्तन के लिए तर्काधार			

पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के लिए पुनर्बीमाकर्ता का विवरण

कर्ता	वसूल किया गया कुल प्रीमियम	अध्यर्पित प्रीमियम		प्राप्त कमीशन	कुल दावे राशि	कुल प्राप्त दावे राशि
		भारत के अंदर	भारत के बाहर			

#	क्षेत्र	संभव कूट	चार्ल्स वर्ष क	अगला वर्ष ख
2(i)	जावक पुनर्बीमा			
2.i.1	बीमाकर्ता का नाम			
2.i.2	पुनर्बीमाकर्ता के लिए प्रत्याशित जोखिम का स्वरूप			
2.i.3	संघ का प्रकार			
2.i.4	उत्पादों का प्रकार/सूची			
2.i.5	अर्पणकर्ता की प्रतिधारण सीमा			
2.i.6	अर्पणकर्ता के लिए कटौतियों			
2.i.7	पुनर्बीमा व्यवस्थाएँ (ब्योरा प्रस्तुत करें)			
2.i.8	पुनर्बीमा कमीशन			
2.i.9	लाभ कमीशन			
2.i.10	कार्यक्रम में परिवर्तन (यदि कोई हो) (ब्योरा प्रस्तुत करें)			
2.i.11	ऐसे परिवर्तन के लिए तकधार			

जावक पुनर्बीमा के लिए पुनर्बीमाकर्ता का विवरण

पुनर्बीमाकर्ता	वसूल किया गया कुल प्रीमियम	अव्यर्जित प्रीमियम		प्राप्त कमीशन	कुल दावे		कुल प्राप्त दावे	
		भारत के अंदर	भारत के बाहर		राशि	राशि	राशि	राशि
#		क्षेत्र		चार्ल्स वर्ष क		फिछला वर्ष ख		

2(ii)	क्या आप पुनः अव्यर्ण का प्रस्ताव करते हैं? (यदि हाँ, तो निम्नलिखित ब्योरा प्रस्तुत करें)							
2.ii.1	बीमाकर्ता / पुनर्बीमाकर्ता का नाम							
2.ii.2	पुनर्बीमाकर्ता के लिए प्रत्याशित जोखिम का स्वरूप							
2.ii.3	संघ का प्रकार							
2.ii.4	उत्पाद (उत्पादों) की सूची							
2.ii.5	अर्पणकर्ता की प्रतिधारण सीमा							
2.ii.6	अर्पणकर्ता के लिए कटौतियों							
2.ii.7	पुनर्बीमा व्यवस्थाएँ (ब्योरा प्रस्तुत करें)							
2.ii.8	पुनर्बीमा कमीशन							
2.ii.9	लाभ कमीशन							
2.ii.10	कार्यक्रम में परिवर्तन (यदि कोई हो) (ब्योरा प्रस्तुत करें)							
2.ii.11	ऐसे परिवर्तन के लिए तकधार							

विवरण 2

विवरण 2 : प्रचलित पॉलिसियों का पुनर्बीमा विवरण

क्रम सं.	उत्पाद का नाम	विराष्ट्र पहचान संख्या (यूआईएन)	लिंकड/ नॉन-लिंकड /वीआइपी	लाभसहित/ लाभरहित	वैयक्तिक/ सामूहिक	प्रारंभ करने का दिनांक	न्यूनतम बीमित राशि	अधिकतम बीमित राशि	औसत बीमित राशि		अव्यक्त पुनर्बीमा प्रकार	
									चालू वर्ष	चालू वर्ष-1		चालू वर्ष-2
									चालू वर्ष	चालू वर्ष-1	चालू वर्ष-2	

पुनर्बीमा की पद्धति	प्रतिधारण सीमाएँ		बीमित व्यक्ति की मंत्री पॉलिसियाँ या एकल पॉलिसी के लिये लागू प्रतिधारण सीमा	कुल सकल प्रीमियम				सकल प्रीमियम में कुल जोड़िम प्रीमियम/लगाये गये मृत्यु/अस्वस्थता प्रभार				कुल अव्यक्त प्रीमियम						
	चालू वर्ष	चालू वर्ष-1		चालू वर्ष	चालू वर्ष-1	चालू वर्ष-2	चालू वर्ष	चालू वर्ष-1	चालू वर्ष-2	चालू वर्ष	चालू वर्ष-1	चालू वर्ष-2	चालू वर्ष	चालू वर्ष-1	चालू वर्ष-2			

सकल प्रीमियम में जोड़िम प्रीमियम/लगाये गये मृत्यु/अस्वस्थता प्रभार का प्रतिशत	चालू वर्ष	चालू वर्ष-1	चालू वर्ष-2	सकल प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में पुनर्बीमा प्रीमियम	चालू वर्ष	चालू वर्ष-1	चालू वर्ष-2	जोड़िम प्रीमियम/मृत्यु/अस्वस्थता प्रभार के प्रतिशत के रूप में पुनर्बीमा प्रीमियम	चालू वर्ष	चालू वर्ष-1	चालू वर्ष-2	पहले वर्ष का पुनर्बीमा कमीशन, यदि कोई हो	परवर्ती वर्ष का पुनर्बीमा कमीशन, यदि कोई हो	वर्तमान पुनर्बीमा व्यवस्थाओं की तुलना में जोड़िम प्रतिधारण दर्शन, जोड़िम प्रबंध कार्यनीतियों, पूँजीगत अपेक्षाओं, हाथीदारी (जोड़िम अंकन) आदि के संबंध में नियुक्त बीमाधिक की टिप्पणी	पुनर्बीमा दर्शन और आखिरी पर प्रभाव के तौर पर लाभसहित पॉलिसियों के संबंध में नियुक्त बीमाधिक की टिप्पणी	नियुक्त बीमाधिक (एए) की टिप्पणी, यदि कोई हो	
																	चालू वर्ष
लाभ कमीशन अथवा कोई अन्य पारिश्रमिक, यदि कोई हो				बीमाकर्ता के लिए कुल प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में सकल प्रीमियम (उत्पाद विशेष)				बीमाकर्ता के लिए कुल प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में कुल जोड़िम प्रीमियम अथवा मृत्यु/अस्वस्थता प्रभार									
चालू वर्ष	चालू वर्ष-1	चालू वर्ष-2	चालू वर्ष	चालू वर्ष	चालू वर्ष-1	चालू वर्ष-2	चालू वर्ष	चालू वर्ष	चालू वर्ष-1	चालू वर्ष-2	चालू वर्ष	चालू वर्ष-1	चालू वर्ष-2				

उपरोक्त विवरण बंदोबस्ती / आजीवन / मनी बैक / स्वास्थ्य / पेंशन / सावधि / अन्य के लिये पृथक रूप से प्रस्तुत किये जाएंगे।

विवरण 3

विवरण 3 : वापस ली गई पॉलिसियों का पुनर्बीमा विवरण

क्रम सं.	उत्पाद का नाम	विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन)	लिंकड/नॉन-लिंकड/बीआईपी	लाभसहित/लाभरहित	वैयक्तिक/सामूहिक	प्रारंभ करने का दिनांक	न्यूनतम बीमित राशि	अधिकतम बीमित राशि	औसत बीमित राशि		अध्ययित पुनर्बीमा	पुनर्बीमा का प्रकार
									चालू वर्ष	चालू वर्ष-1		

पुनर्बीमा की पद्धति	प्रतिधारण सीमाएँ		बीमित व्यक्ति की सभी पॉलिसियों या एकल पॉलिसी के लिये लागू प्रतिधारण सीमा	कुल सकल प्रीमियम		सकल प्रीमियम में कुल जोखिम प्रीमियम/लगाये गये मृत्यु/अस्वस्था प्रभार		कुल अध्ययित प्रीमियम	
	चालू वर्ष	चालू वर्ष-1		अधिकतम सीमा	चालू वर्ष	चालू वर्ष-1	चालू वर्ष	चालू वर्ष-1	चालू वर्ष

सकल प्रीमियम में जोखिम प्रीमियम/लगाये गये मृत्यु/अस्वस्था प्रभार का प्रतिशत	सकल प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में पुनर्बीमा प्रीमियम	जोखिम प्रीमियम/मृत्यु/अस्वस्था प्रभार के प्रतिशत के रूप में पुनर्बीमा प्रीमियम	पहले वर्ष का पुनर्बीमा कमीशन, यदि कोई हो	परवर्ती वर्षों का पुनर्बीमा कमीशन, यदि कोई हो
चालू वर्ष	चालू वर्ष	चालू वर्ष	चालू वर्ष	चालू वर्ष
चालू वर्ष-1	चालू वर्ष-1	चालू वर्ष-1	चालू वर्ष-1	चालू वर्ष-1
चालू वर्ष-2	चालू वर्ष-2	चालू वर्ष-2	चालू वर्ष-2	चालू वर्ष-2

लाभ कमीशन अथवा कोई अन्य पारिश्रमिक, यदि कोई हो	बीमाकर्ता के लिए कुल प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में सकल प्रीमियम (उत्पाद विशेष)		बीमाकर्ता के लिए कुल प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में कुल पुनर्बीमा प्रीमियम		वर्तमान पुनर्बीमा व्यवस्थाओं को तुलना में जोखिम प्रतिधारण दर्शन, जोखिम प्रबंध कार्यनीतियों रूजिगत अपेक्षाओं, हमीदारी (जोखिम अंकन) आदि के संबंध में नियुक्त बीमाकर्ता की टिप्पणी	पुनर्बीमा दर्शन और आखिरी पर प्रभाव के तौर पर लाभसहित पॉलिसियों के संबंध में नियुक्त बीमाकर्ता की टिप्पणी	नियुक्त बीमाकर्ता (एए) की टिप्पणी, यदि कोई हो
	चालू वर्ष	चालू वर्ष-1	चालू वर्ष	चालू वर्ष-1			

उपरोक्त विवरण बंदोबस्ती / आजीवन / मनी बैक / स्वास्थ्य / पेंशन / सावधि / अन्य के लिये पृथक रूप से प्रस्तुत किये जाएंगे।

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
NOTIFICATION

Hyderabad, the 11th February, 2013

Insurance Regulatory and Development Authority
(Life Insurance-Reinsurance) Regulations, 2013

F.No. IRDA/Notification/1775/2013.— In exercise of the powers conferred by section 114A of the Insurance Act, 1938, read with sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee hereby makes the following regulations, namely:

1. Short title and commencement.—

- a. These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority (Life Insurance - Reinsurance) Regulations, 2013.
- b. They shall come into force on the date of their notification in the Official Gazette.

2. Definitions. ---In these regulations, unless the context otherwise requires:

- a. 'Act' means the Insurance Act 1938 (4 of 1938);
- b. 'Authority' means the Insurance Regulatory and Development Authority established under sub-section (1) of Section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999 (41 of 1999);
- c. 'Cedant' is an insurer who enters into a reinsurance contract or a reinsurer who enters into a retrocession contract;
- d. 'Cession' means the part of insurance passed to a reinsurer by the insurer which issued a policy to the original insured;
- e. 'Fronting' means a process by which a primary insurer cedes most of or all of the insurance risk to a reinsurer
- f. 'Facultative' means the reinsurance of a part or all of a single policy in which cession is negotiated separately and that the reinsurer and the insurer have the option of accepting or declining each individual submission;
- g. 'Reinsurance contract' is the legally binding document on all the parties that provide a complete, accurate and definitive record of all the terms and conditions and other provisions of the reinsurance contract.
- h. 'Retrocession' means the transaction whereby a reinsurer cedes to another insurer or reinsurer all or part of the reinsurance it has previously assumed;
- i. 'Retention' means the portion of the risk which an insurer assumes for his own account.
- j. 'Indian re-insurer' means an Indian insurance company which has been granted a certificate of registration under sub-section (2A) of section 3 by the Authority to carry on exclusively the reinsurance business in India;
- k. 'pool' means any joint underwriting operation of insurance or reinsurance in which the participants assume a predetermined and fixed interest in all business written.
- l. 'Treaty' means a reinsurance arrangement between the insurer and the reinsurer, usually for one year or longer, which stipulates the technical particulars and financial terms applicable to the reinsurance of some class or classes of business;
- m. Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) or Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts as the case may be.

66361/13-9

3. Reinsurance with Indian reinsurers:

- a. In accordance with Section 101 A of the Insurance Act, 1938, every insurer shall reinsure with Indian reinsurers such percentage of the sum assured on each policy as may be specified by the Authority by notification.
- b. Provided that no percentage so specified shall exceed thirty percent of the sum assured on such policy and
- c. Also different percentages may be specified for different classes of insurance and
- d. Also specify the proportions in which the said percentage shall be allocated among Indian reinsurers.
- e. For the purpose of this regulation, an Advisory Committee shall be constituted in accordance with the Section 101B of the Insurance Act, 1938 consisting of not more than five persons having special knowledge and experience of life insurance business.

4. Procedure to be followed for reinsurance arrangements.---

- a. The Reinsurance Programme of every insurer/reinsurer shall be guided by the following objectives to:
 - i. Maximize retention within the country;
 - ii. Develop adequate capacity;
 - iii. Secure the best possible protection for the reinsurance costs incurred;
 - iv. Ensure that the reinsurance policy does not lead to fronting of insurance business;
 - v. Simplify the administration of business.
- b. Every life insurer shall draw up a programme of reinsurance in respect of lives covered and the profile of such a programme, duly certified by the Appointed Actuary and approved by the Board of Director, shall be filed with the Authority, at least forty five days before the commencement of each financial year, by the insurer, which shall include:
 - i. For new insurers: their proposed reinsurance arrangements in relation to their capitalisation, proposed classes of business and retentions; their reinsurers and ratings for the past five years; and control systems.
 - ii. For existing insurers:
 1. The proposed reinsurance arrangements in relation to their capitalisation, proposed classes of business and retentions; their reinsurers, shares and ratings for the past five years and
 2. An annual review of existing reinsurance arrangements, including:
 - a. In relation to the risk exposures for each class of insurance business written: Retention limits, comparison to the Regulatory Reporting Retention Limits in Regulation 6, and the types of cover provided by treaties;
 - b. Reinsurance control systems for monitoring exposures and making cessions and claims recoveries;
 - c. Major reinsurers, i.e. reinsurers accounting for more than 20 per cent of premiums ceded under any one reinsurance contract and reinsurers accounting for more than 5 per cent of premiums ceded in total.
 - d. The name(s) of the reinsurer(s) with whom the insurer has the reinsurance arrangements, their shares and their rating for the past five years.

Provided that the Authority may, if it considers necessary, elicit from the insurer any additional information, from time to time, and the insurer shall furnish the same to the Authority forthwith.

- c. The insurer shall ensure that the reinsurance arrangements in respect of catastrophe risks, using various realistic disaster scenario testing, are adequate and approved by the Board of Directors before filing the same with the Authority along-with the reinsurance programme.
- d. The insurer shall determine the credit risk and concentration risk of the reinsurance arrangements and explain the measures taken to mitigate such risks, if any, in the reinsurance programme.
- e. The Authority shall examine the reinsurance programme, the retention policy details as in Regulation 5 and the detailed report on regulatory reporting retention limits, if required under

Regulation 6, submitted along with the reinsurance programme to ensure, amongst others, that the:

- i. The objectives in sub-regulation 4 (a) are met;
 - ii. The insurer's financial strength, the reinsurance policy, underwriting capacity, volume of the business etc are considered in arriving at the retention limits.
- f. If the reinsurance programme of the insurers is found to be inconsistent with the overall objective of this Regulation, the Authority for the purposes of calculating solvency, may allow a lesser credit for reinsurance in the sum-at-risk factor.
 - g. For the purpose of (e) and (f), the Authority shall examine all the necessary justifications, the technical & financial strength of the insurer, all the supporting data and the reasons why such an arrangement would be required as submitted in the reinsurance programme.
 - h. The Authority shall scrutinize such a programme of reinsurance as above, and may suggest changes, if it consider necessary, and the insurer shall incorporate such changes forthwith in his programme.

5. Retention Policy:

- a. Every insurer shall build the retention capacity within the company and formulate suitable retention policy for each type of product/risk on an ongoing basis and justify on an ongoing basis such retention policy in accordance with the emerging claims experience, financial standing, underwriting capacity etc. in the annual reinsurance programme submitted to the Authority.
- b. The above such retention policy of every insurer shall:
 - i. aim at retaining the maximum premium earned in India, maximizing the retention across products commensurate with his financial strength & volume of business and
 - ii. establish the above in the reinsurance programme as referred to in sub-regulation 4 (b).
- c. Insurers may be allowed to reinsure on quota share:
 - i. in the initial two years of starting operations for health insurance business and group term insurance business and
 - ii. in the initial two years of introducing a new risks/product for health insurance business and group term insurance business

Provided the minimum retentions in all such cases shall be at least as referred in Table: 6 (1) applicable to health insurance business and group term insurance business.
- d. The Authority may require an insurer to further justify its retention policy and may give such directions as considered necessary.

6. Regulatory Reporting Requirements:

- a. If the retention levels of such retention policy for mortality / morbidity risks is less than the regulatory reporting retention limits stated in Table: 6 or the total reinsurance premium to the total premium received under a particular product exceeds 2% for all saving products and 30% for all term insurance/health products, in all such cases, the insurers shall report to the Authority along with the reinsurance programme for approval a detailed working for each product on:
 - i. The underwriting processes;
 - ii. Claims fluctuations and claims experience;
 - iii. Current retention levels;
 - iv. Their financial strength;
 - v. Volume of business;
 - vi. Capital requirements;
 - vii. Past claims payment history of the reinsurers;
 - viii. Capacity building measures taken in terms of building up capacity in underwriting, claims handling, risk management, pricing, valuation, etc. since introducing the risk; etc

Table: 6**Regulatory Reporting Retention Limits**

S.No	Age of the insurer or year in which the risk is introduced**	Type of the products or riders	Retention limit on the sum at risk. Rs.
1	0 to 3 years both inclusive	Pure protection products like term insurance, personal accident products etc	5lakhs
		All kinds of savings products like endowment, ULIPS etc	10lakhs
		All kinds of group protection products	5lakhs
		All kinds of health insurance products, except personal accident products.	1lakhs
2	4 to 7 years both inclusive	Pure protection products like term insurance, personal accident products etc	10lakhs
		All kinds of savings products like endowment, ULIPS etc	20lakhs
		All kinds of group protection products	10lakhs
		All kinds of health insurance products, except personal accident products.	3lakhs
3	8 to 11 years both inclusive	Pure protection products like term insurance, personal accident products etc	15lakhs
		All kinds of savings products like endowment, ULIPS etc	30lakhs
		All kinds of group protection products	15lakhs
		All kinds of health insurance products, except personal accident products.	3lakhs
4	12 to 15 years both inclusive	Pure protection products like term insurance, personal accident products etc	20lakhs
		All kinds of savings products like endowment, Unit linked products etc	30lakhs
		All kinds of group protection products	20lakhs
		All kinds of health insurance products, except personal accident products.	4lakhs
5	Above 15 years	The Authority may prescribe from time to time the limits for all the four types of products	

** If the insurer is introducing the risk for the first time, in such cases the limits in # 1 would apply irrespective of the age of the insurer.

Provided further that the Authority shall review the Regulatory Reporting Retention Limits every two years and if necessary, may revise these limits upwards from time to time.

7. Submissions of Reinsurance Treaties:

- a. All reinsurance arrangements shall be documented and filed with the Authority within 30 days of commencement of the financial year.
- b. Within 30 days of the commencement of the financial year, every insurer shall also file with the Authority a copy of every reinsurance treaty contract in respect of that year together with the list of reinsurers, their ratings and their shares in the reinsurance arrangement.
Provided that any change in the terms and conditions of the reinsurance treaty shall be filed with the Authority within 15 days of such changes.

8. Placement of Reinsurance Business:

- a. Insurers shall place their reinsurance business outside India with only those reinsurers who have over a period of the past five years counting from the year preceding for which the business has to be placed, enjoyed a credit rating of at least BBB (with Standard & Poor) or equivalent rating of any other international rating agency.
- b. Provided that placement of business by the insurer with any other reinsurer shall be with the prior approval of the Authority.
- c. Provided further that no programme of reinsurance shall be on original premium basis.

- d. Provided further that no life insurer shall have reinsurance treaty arrangement with its promoter company or its associate/group company, except on terms which are commercially competitive in the market and with the prior approval of the Authority, which shall be final and binding.
- e. The life insurers shall, before placing the business with the reinsurers, consider past claims performance of the reinsurers, as available, while accepting their participation in the reinsurance programme.

9. Submission of Returns:

- a. Every insurer shall be required to submit to the Authority information and returns relating to its reinsurance transactions as per Annexure I and in such other forms as the Authority may require or specify from time to time

Explanation: All the life insurers shall furnish the information and returns required as per Annexure 1:

- i. In the case of forms which are to be submitted on an annual basis, with in 45 days from the close of each financial year.
- ii. In all other cases, within 15 days from the close of each quarter/half-year as the case may be.

10. Inward Reinsurance Business:

- a. Every insurer wanting to write inward reinsurance business shall seek specific approval of the Authority providing all the business projections and all documentation as may be required for such business.
- b. Every insurer wanting to write inward reinsurance business shall have a well-defined underwriting policy approved by its Board of Directors for underwriting inward reinsurance business.
- c. An insurer shall file with the Authority, at least forty five days before the commencement of each financial year, its underwriting policy stating the classes of business, geographical scope, underwriting limits and profit objective.
- d. An insurer shall ensure that decisions on acceptance of reinsurance business are made by persons with adequate knowledge and experience, preferably in consultation with the insurer's Appointed Actuary.
- e. An insurer shall also file with the Authority any changes to the underwriting policy as and when a change is made duly approved by its Board of Directors.
- f. An insurer shall show all the receipts and payments like premiums, claims, etc. relating to reinsurance business accepted separately from direct insurance business.

11. Repeal and Savings:

- a. These Regulations repeal the Insurance Regulatory and Development Authority (Life Insurance – Reinsurance) Regulations, 2000.
- b. Unless otherwise provided by these regulations, nothing in these regulations shall deem to invalidate the arrangements entered prior to these regulations coming into force.

J. HARI NARAYAN, Chairman

[ADVT. III/4/161/12/Exty.]

66361/13-10

Annexure - 1

To-Be Forms & Reports for Reinsurance(Life) Department

Form Code	Form Name
INPUT_REINSURANCE_1	Form LR-1: List of reinsurance treaties for the year
INPUT_REINSURANCE_1.1	Summary of reinsurance treaties during the year
INPUT_REINSURANCE_2	Form LR-2: Particulars of Surplus Treaty For the Year
INPUT_REINSURANCE_3	Form LR-3: Result of Surplus Treaty for the Year Ended 31st March,.....
INPUT_REINSURANCE_4	Form LR-4: Particulars of Quota Share Treaty For the Year
INPUT_REINSURANCE_5	Form LR-5: Result of Quota Share surplus Treaty for the Year Ended 31st March,.....
INPUT_REINSURANCE_6	Form LR-6: Particulars of Excess of Loss cover/Catastrophe Treaty For the Year
INPUT_REINSURANCE_7	Form LR-7: Result of Excess of Loss/catastrophe Treaty for the Year Ended 31st March,.....
INPUT_REINSURANCE_8	Form LR-8: Reinsurance Accounts for the quarter ended 31st March/30th June/30th Sept/31st Dec
INPUT_REINSURANCE_9	Data Uploading Format for Reinsurance Rate data
INPUT_REINSURANCE_10	Details of Outstanding Recoveries - To be furnished by the insurer
INPUT_REINSURANCE_11	Aging data of reinsurance recoverables
INPUT_REINSURANCE_12	Reinsurance Program Details - Inward
INPUT_REINSURANCE_13	Reinsurance Program Details - Outward
Statements	
Statement 1	Statement of Reinsurance Statistics for the quarter ended
Statement 2	Reinsurance Details- Inforce
Statement 3	Reinsurance Details- Withdrawan

Form LR-1: List of reinsurance treaties during the year

Purpose and Objective

The objective of the form is to capture the information on the reinsurers, treaties and products covered in each treaty. This is a re-engineered form based on the existing form LR-1. The frequency of this return is yearly.

Filters and Parameters

Year []
Classification []

Name of Issuer []
Category []

No. of treaties

[]

Treaty Details

Reinsured Party	Underwriting	Reinsurer Category	Reinsurer	Reinsured Party	Reinsured Party	LINE
			1. Reinsurer 1			
			2. Reinsurer 2			

Total No. of reinsurers

[]

Reinsurer Details

Name of Reinsurer	Group Company or not?	Current Rating of Reinsurer (as per S&P Site or equivalent)	Previous rating	Address of Reinsurer

We certify that the information furnished above is true and correct as per our records;

(Signature of Appointed Actuary)

(Signature of Principal Officer)

(Name of Appointed Actuary)

(Name of Principal Officer)

[] [] []

[Date]

INPUT_REINSURANCE_1.1

Summary of reinsurance treaties during the year

Purpose and Objective

This form captures the summary of the treaties done by the insurers during the year

This is a new form created based on the requirements of the department.

The frequency of this return is yearly.

Filters and Parameters

Year

Name of Insurer

Classification

Category

#	Particulars	Surplus Treaty	Quota Share Treaties	Excess of Loss Cover Treaty	Facultative	Catastrophe	Any Other(s)
	<i>Column Code</i>	a	b	c	d	e	f
1	No. of treaties at the beginning of year						
2	No. of treaties added						
2.i	No. of modification						
3	No. of treaties terminated/suspended						
4	No. of treaties at the end of the year						

66361/13-11

INPUT REINSURANCE 2
Form LR-2: Particulars of Surplus Treaty For the Year*

Purpose and Objective

The objective of the form is to capture the details of the surplus treaties filed by the insurer. This is a reengineered form based on the existing form LR-2. The frequency of this return is yearly.

Filters and Parameters

Year
 Classification

Name of Insurer
 Category

Name of Treaty

Treaty Year

No. of Life Insurance Products Covered

Name of the products covered

Click here to add more products									
Click here to add more risks									

Risk Excluded

Basis of retention

Net Retention

Basis of reinsurance

Surplus Treaty Limit

Rates of Reinsurance Premium

Reinsurance Commission

a) Normal Risk

b) Sub-standard Risk

a) Normal Risk

b) Sub Standard Risk

c) Corridor

a) Death and disablement risks (Please attach schedule)

b) Riders

Profit Commission

- a) Percentage
- b) Deduction for management expense
- c) Loss carried forward provision
- d) Minimum no. of lives

Reserve/Deposits

- a) Basis of retention and percentage
- b) Method of release
- c) Interest Payable

Termination

- a) Notice Required
- b) Restriction and Termination
- c) Penalty on early termination

List of reinsurers

Name of reinsurer	Share in Treaty	Name of Broker, if any

We certify that the information furnished above is true and correct as per our records;

 (Signature of Appointed Actuary)

 (Signature of Principal Officer)

 (Name of Appointed Actuary)

 (Name of Principal Officer)

 (Date)

Note
 * Insurer needs to submit separate LR-2 forms for each treaty
 All figures / amounts are in Rupees
 All figures / amounts will have to be entered in absolute numbers

INPUT REINSURANCE 3

Form LR-3: Result of Surplus Treaty for the Year Ended 31st March,.....

Purpose and Objective

The purpose of the form is to collect the business data of the reinsurance for surplus treaty
 This is a reengineered form based on the existing form LR-3
 The form is yearly.

Filters and Parameters

Year	<input type="text"/>	Name of Insurer	<input type="text"/>
Treaty Name	<input type="text"/>	Name of Re Insurer**	<input type="text"/>
Category	<input type="text"/>	Classification	<input type="text"/>

Sl. No.	Year	No. of lives reinsured		Sum Reinsured		Reinsurance Premium		Reinsurance Commission (If Any)	Reinsurance Claims Paid		Profit Commission	Balance
		New Cessions	Existing Cessions	New Cessions	Existing Cessions	New Cessions	Existing Cessions		No.	Amount		
	Column Code	a	b	c	d	e	f	g	j	k	l	j+g+k+l-e-f
1	Current Year											
2	First Preceding Year											
3	Second Preceding Year											
4	Third Preceding Year											
5	Fourth Preceding Year											

All figures / amounts are in Rupees
 All figures / amounts will have to be entered in absolute numbers

We certify that the information furnished above is true and correct as per our records;

 (Signature of Appointed Actuary)

 (Signature of Principal Officer)

 (Name of Appointed Actuary)

 (Name of Principal Officer)

INPUT_REINSURANCE_4

Form LR-4: Particulars of Quota Share Treaty For the Year*

Purpose and Objective

The objective of the form is to capture the details of the quota share treaties filed by the insurer
 This is a reengineered form based on the existing form LR-4
 The frequency of this return is yearly.

Filters and Parameters

Year

Name of Insurer

Classification

Category

Name of Treaty

Treaty Year

No. of Life Insurance Products Covered

Name of the products covered

[Click here to add more products](#)

Risk Excluded

[Click here to add more risks](#)

Gross underwriting limit

a) Normal Risks

b) Sub Standard risks

Net Retention

a) Normal Risk

b) Sub-standard Risk

Any Surplus treaty operating on the top of the gross limits

Cession Percentage

 %

Treaty Limits

Rate of reinsurance premium

a) As Original (as per original terms)

b) As per schedule (attach schedule)

Attach the relevant schedule (if applicable)

[Browse](#)

Terms of reinsurance (including proportion)

Reinsurance Commission

Profit Commission

a) Percentage

b) Deduction for management expense

c) Loss carried forward provision

d) Minimum no. of lives

Reserve/Deposits

a) Basis of retention and percentage

b) Method of release

c) Interest Payable

[Redacted]

Termination

a) Notice Required

[Redacted]

b) Restriction and Termination

[Redacted]

c) Penalty on early termination

[Redacted]

List of reinsurers

Name of reinsurer	Share in Treaty	Name of Broker, if any

We certify that the information furnished above is true and correct as per our records;

(Signature of Appointed Actuary)

(Signature of Principal Officer)

(Name of Appointed Actuary)

(Name of Principal Officer)

DD - MM - YYYY

(Date)

Note
* Insurer needs to submit separate LR-4 forms for each treaty
All figures / amounts are in Rupees
All figures / amounts will have to be entered in absolute numbers

66361/13-12

INPUT_REINSURANCE_5

Form LR-5: Result of Quota Share Treaty for the Year Ended 31st March,.....**Purpose and Objective**

The purpose of the form is to collect the business data of the reinsurance for quota share treaty

This is a reengineered form based on the existing form LR-5

The form is yearly.

Filters and Parameters

Year

Name of Insurer

Name of Treaty

Name of Re Insurer**

Classification

Category

#	Year	No. of lives reinsured		Sum Reinsured		Reinsurance Premium		Reinsurance Commission (If Any)	Reinsurance Claims Paid		Profit Commission	Balance
		New Cessions	Existing Cessions	New Cessions	Existing Cessions	New Cessions	Existing Cessions	No.	Amount			
	Column Code	a	b	c	d	e	f	g	j	k	l	
1	Current Year											
2	First Preceding Year											
3	Second Preceding Year											
4	Third Preceding Year											
5	Fourth Preceding Year											

If figures / amounts are in Rupees

If figures / amounts will have to be entered in absolute numbers

We certify that the information furnished above is true and correct as per our records;

(Signature of Appointed Actuary)

(Signature of Principal Officer)

(Name of Appointed Actuary)

(Name of Principal Officer)



Form LR-6: Particulars of Excess of Loss cover/Catastrophe Treaty For the Year*

Purpose and Objectives

The objective of the form is to capture the details of the excess of loss/catastrophe treaties filed by the insurer.
This is a supplementary form based on the existing form LR-6.
The frequency of this return is yearly.

Filters and Parameters

Year Name of Insurer
 Classification Category

Name of Treaty

Treaty Year

Portfolio Protected

Max sum at risk per RRs for the portfolio

Treaty a) Basis of operation
 Cover

b) Cover Limit

c) Loss Retention

Maximum recoverable in one year

Excess of Loss premium

a) Basis	
b) Rate	
c) Minimum Amount	
d) Deposit Premium	
e) Reinstatement Premium	
f) Experience Refund	

Termination

a) Notice Required

b) Restriction on termination

c) Penalty on non-renewal

List of reinsurers

Name of reinsurer	Share of treaty	Number of policies

We certify that the information furnished above is true and correct as per our records;

[Signature of Appointed Actuary]	[Signature of Principal Officer]
[Name of Appointed Actuary]	[Name of Principal Officer]

[DD] [MM] [YY] [HH] [MM] [SS]

[Date]

Note
 * Insurer needs to submit separate LR-6 forms for each treaty.
 All figures / amounts are in Rupees.
 All figures / amounts shall have to be entered in absolute numbers.

[भाग III—खण्ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

INPUT_REINSURANCE_7
Form LR-7: Result of Excess of Loss/catastrophe Treaty for the Year Ended 31st March,.....

Purpose and Objective

The purpose of the form is to collect the business data of the reinsurance for Excess of Loss/catastrophe Treaty
 This is a reengineered form based on the existing form LR-7
 The form is yearly.

Filters and Parameters

Year

Classification

Name of Insurer

Category

#	Year	Reinsurance Premium		Reinsurance Commission (If Any)	Reinsurance Claims Paid		Balance
		New Cessions	Existing Cessions		Number	Amount	
	Column Code	a	b	c	f	g	h = c+g-a-b
1	Current Year						
2	First Preceding Year						
3	Second Preceding Year						
4	Third Preceding Year						
5	Fourth Preceding Year						

All figures / amounts are in Rupees
All figures / amounts will have to be entered in absolute numbers

We certify that the information furnished above is true and correct as per our records;

 (Signature of Appointed Actuary)

 (Signature of Principal Officer)

 (Name of Appointed Actuary)

 (Name of Principal Officer)

 (Date)

Note
 ** This form should be filled up for all possible combinations of treaties and reinsurers. So in case, "Treaty 1" includes 2 different reinsurers - "Reinsurer 1" and "Reinsurer 2", then the form will be submitted twice.

66361/13-13

INPUT_REINSURANCE_8

Form LR-8: Reinsurance Accounts for the quarter ended 30th June/30th Sept/31st Dec/31st March

Purpose and Objective

The purpose of the form is to collect the business data of the reinsurance for all treaties
 This is a recreation of existing form LR-8. No change has been made.
 The form is quarterly

Filters and Parameters

Year	<input type="text"/>	Quarter	<input type="text"/>
Name of insurer	<input type="text"/>	Classification	<input type="text"/>
Category	<input type="text"/>	Division	<input type="text"/>
Sub Class	<input type="text"/>	Group	<input type="text"/>

#	Particulars	Amount (in Rs. '000)
	Column Code	
A	Ceded Business	
1	Opening balance of the account	
2	Deduct	
2.i	Gross Reinsurance premium paid	
2.ii	Any other payment to reinsurer (Please specify)	
3	Add	
3.i	Commission received from reinsurer	
3.ii	Claims amount paid by reinsurer	
3.iii	Any other payment from reinsurer (Please specify)	
4	Closing balance of the account	
5	Total premium received by the Insurer during the quarter	
6	Total claims paid during the quarter by the Insurer	
B	Accepted Business	
1	Opening balance of the account	
2	Add	
i	Gross reinsurance premium paid by ceding companies	
ii	Any other payment from the ceding companies (Please specify)	
3	Deduct	
i	Commission paid to ceding companies	
ii	Claims amount paid to ceding company	
iii	Any other payment to ceding companies (Please specify)	
4	Closing balance of the account	

We certify that the information furnished above is true and correct as per our records;

 (Signature of Appointed Actuary)

 (Signature of Principal Officer)

 (Name of Appointed Actuary)

 (Name of Principal Officer)

 (Date)

Note

For specifying any other amount, there will be option to insert a new row for the details
 All figures / amounts are in Rupees
 All figures / amounts will have to be entered in absolute numbers

[शरी 111-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

Form for uploading Reinsurance Rate data

Purpose and Objective

The purpose of this format is to capture the data on reinsurance rates from the insurer.
 This is a data loading format which will be loaded by the insurer once a year

Filters and Parameters

Year	<input type="text"/>	Quarter	<input type="text"/>
Name of insurer	<input type="text"/>	Classification	<input type="text"/>
Category	<input type="text"/>		

#	Name of treaty	Name of reinsurer	Age last birthday/Age Group	Gender	Reinsurance rate
	<i>Column Code</i>	a	b	c	d

All figures / amounts are in Rupees
 All figures / amounts will have to be entered in absolute numbers

Details of Outstanding Recoveries - To be furnished by the insurer

Purpose and Objective

This form collects information on outstanding recoveries for the reinsurers. This form would be furnished by each insurer
 This form is completely new and is created based on the requirements.
 The frequency of this return is yearly

Filters and Parameters

Year

Name of insurer

Line of Business

(Rs in Lakhs)

#	Name of reinsurer	Proportional Treaty					Excess of loss cover treaty					Facultative Placement				
		Recoveries outstanding at the beginning	New recoveries during the year	Recovered during the year	Recoveries at the end of the year	Recoveries under dispute	Recoveries outstanding at the beginning	New recoveries during the year	Recovered during the year	Recoveries at the end of the year	Recoveries under dispute	Recoveries outstanding at the beginning	New recoveries during the year	Recovered during the year	Recoveries at the end of the year	Recoveries under dispute
		Amount	Amount	Amount	Amount	Amount	Amount	Amount	Amount	Amount	Amount	Amount	Amount	Amount	Amount	Amount
		Column Code	a	b	c	d=a+b-c	e	f	g	h	i=f+g-h	j	k	l	m	n=k+l-m

[श्री III - खण्ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

#	Reinsurer	Total Claim
	Column Code	a

6361/13-14

INPUT_REINSURANCE_12

Reinsurance Program Details - Inward

Purpose and Objective

This input form captures the details of the reinsurance program
The frequency of this return is yearly

Filters and Parameters

Year

LOB

Insurer

previous yr's (expiring) data based on treaty

(In Lakhs)

Area	Column Code	Expiring Year	Proposed Year
		A	B
1 Existing Reinsurance Arrangements (expected to continue/new/other arrangements)			
1.1			
1.1			
1.2			
1.3			
1.4			
1.5			
1.6			
1.7			
1.8			
1.9			

Reinsurer Details for Existing Reinsurance Arrangements

Reinsurer	Total Premium Collected	Premium Ceded		Commissions Received	Total Claims Received Amount	Total Claims Received Amount
		Within India	Outside India			

Area	Column Code	Current Year	Next Year
		A	B
20 Inward Reinsurance			
2.1.1			
2.1.2			
2.1.3			
2.1.4			
2.1.5			
2.1.6			
2.1.7			
2.1.8			
2.1.9			
2.1.10			
2.1.11			

Reinsurer Details for Inward Reinsurance

Reinsurer	Total Premium Collected	Premium Ceded		Commissions Received	Total Claims Received Amount	Total Claims Received Amount
		Within India	Outside India			

Area	Column Code	Current Year	Previous Year
		A	B
200 Do you propose to re-insure? (If yes provide the following details)			
2.0.1			
2.0.2			
2.0.3			
2.0.4			
2.0.5			
2.0.6			
2.0.7			
2.0.8			
2.0.9			
2.0.10			
2.0.11			

Reinsurer	Total Premium Collected	Premium Ceded		Commissions Received	Total Claims Received Amount	Total Claims Received Amount
		Within India	Outside India			

[Part III - Annex 4]

भारत का राजपत्र : अतिशय

Statement 1

Statement of Statistics relating to the Reinsurance business for the Quarter ended.....

Name of the Company	Name of the Product	Number of Policies		Number of Lives		Number of Claims Incurred		Number of Claims Settled		Number of Claims Outstanding	
		Gross	Reinsured	Gross	Reinsured	Gross	Reinsured	Gross	Reinsured	Gross	Reinsured
	A										
	B										
	C										
	D										

STATEMENT 2

S.No	Name of the product	UIN	Linked/nonlinked / VIP	with profits/withoutprofits	individual / groups	Date of launch	Minimum SA	Maximum SA	Average SA			Reinsurance ceded	Type of Reinsurance	Method of reinsurance	Retention limits			Retention limit applicable
									CY	CY-1	CY-2				CY	CY-1	highest limit	

Total gross premium			Total risk premium in the gross premium			Total premium ceded			Risk premium/mortality/			Reinsurance premium as a			Reinsurance premium as a percentage			First year reinsurance commission,			Subsequent years reinsurance		
CY	CY-1	CY-2	CY	CY-1	CY-2	CY	CY-1	CY-2	CY	CY-1	CY-2	CY	CY-1	CY-2	CY	CY-1	CY-2	CY	CY-1	CY-2	CY	CY-1	CY-2

Profit commission or any other			Gross premium as a percentage of total			Total risk premium or mortality /			Total reinsurance premium as a			Comment s of the	comments of AA on	Remarks of the AA, if
CY	CY-1	CY-2	CY	CY-1	CY-2	CY	CY-1	CY-2	CY	CY-1	CY-2			

The above statement is to be separately furnished for endowment / whole life / money back / health / pension/ term others

STATEMENT 3

S.No	Name of the product	UIN	Linked/nonlinked / VIP	with profits/withoutprofits	Individual / groups	Date of launch	Minimum SA	Maximum SA	Average SA			Reinsurance ceded	Type of Reinsurance	Method of reinsurance	Retention limits			Retention limit applicable
									CY	CY-1	CY-2				CY	CY-1	highest limit	

Total gross premium			Total risk premium in the gross premium			Total premium ceded			Risk premium/mortality/			Reinsurance premium as a			Reinsurance premium as a percentage			First year reinsurance commission,			Subsequent years reinsurance		
CY	CY-1	CY-2	CY	CY-1	CY-2	CY	CY-1	CY-2	CY	CY-1	CY-2	CY	CY-1	CY-2	CY	CY-1	CY-2	CY	CY-1	CY-2	CY	CY-1	CY-2

Profit commission or any other			Gross premium as a percentage of total			Total risk premium or mortality /			Total reinsurance premium as a			Comments of the	Comments of AA on	Remarks of the AA, if
CY	CY-1	CY-2	CY	CY-1	CY-2	CY	CY-1	CY-2	CY	CY-1	CY-2			

The above statement is to be separately furnished for endowment / whole life / money back / health / pension/ term others

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.